

फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

38 सन् 2019 किस्म मुकदमा 31 धना पत्र

काठु

बनाम

आगरा

आदेशिका

हस्ताक्षर/सूच

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षी
 अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता (वैपक्षी) उपस्थित
 हैं। अधिवक्ता (वैपक्षी) की वदत सुनी गयी।
 अंतरिम आस्थापित निवेधाना मूल वाद
 के त्रिलोचन तब कन्फर्म की जाते
 हैं। पत्रावली केवल सुनाने के लिए
 मान्य से रूत है। निर्णय सुनाने
 न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
 जिला-राजसमन्द

